हिमाचल प्रदेश सरकार
उद्यान विभाग

संख्याःउद्यान–ख (7)–8/92–II तारीख शिमला–2, 18 अगस्त, 2007.

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश, उद्यान विभाग में, हिमाचल प्रदेश औद्यानिकी सेवाएं, वर्ग–I (राजपत्रित) पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। **1.** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश औद्यानिकी सेवाएं, वर्ग–I (राजपत्रित)भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 हैं ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

निरसन और व्यावृत्तियां। **2.** (1) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः उद्यान–क (3)–4/81–II तारीख 06–02–1988 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग, वर्ग प्रथम (राजपत्रित) सेवाएं नियम,1988 और अधिसूचना संख्याः उद्‌यान–ख (3)–1/86 तारीख 29–09–1987 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग,वर्ग–I पद राजपत्रित भर्ती और पदोन्नति नियम,1987 तथा अधिसूचना संख्याः 29–1/72–होर्ट.(सैक्ट) तारीख 06–08–1973 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश होर्टिकल्चर क्लास–III (एग्जीक्यूटिव सैक्शन) सर्विसज (रेक्रूटमैंट, प्रमोशन एण्ड सर्टेन कण्डीशनज ऑफ सर्विस) रूल्ज,1973(पार्ट–1) का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप–नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

(जे0पी0 नेगी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्यान)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

उपाबन्ध– "क"

हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग, औद्यानिकी सेवाएं, वर्ग–। (राजपत्रित) पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम ।

1.पद का नाम	हिमाचल प्रदेश औद्यानिकी सेवाएं वर्ग–।(राजपत्रित) । इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को पदों के ब्यौरे,उनका विद्यमान पदनाम, परिशिष्ट "क" में है।
2.पदों की संख्या	360 (तीन सौ साठ) । (ब्यौरा, परिशिष्ट "क" के अनुसार है)
3.वर्गीकरण	वर्ग–।(राजपत्रित)
4.वेतनमान	7220–220–8100–275–10300–340–11660 रूपए।(प्रारम्भिक वेतनमान)
5.चयन पद अथवा अचयन पद	चयन ।
6.सीधी भर्ती के लिए आयु:	18 से 45 वर्ष या इससे कम ।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा मे रत अभ्यर्थियों को लागू नही होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों /अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर,निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर,निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पव्लिक सेक्टर,निगमों/ स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर,निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/ स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/ किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे ।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं:	**क) <u>अनिवार्य</u> :** निम्नलिखित अनुशासन/विषयों में से किसी एक विषय में औद्यानिकी/कृषि में विज्ञान स्नातकोत्तर (एम0एस0सी0) होना चाहिए:— फलकृषि—विज्ञान, फल प्रजनन एवं आनुवंशिकी संसाधन, फसलोत्तर प्रौद्योगिकी/ फल प्रौद्योगिकी, पुष्पोत्पादन एव भू—दृश्य निर्माण,कवक विज्ञान एवं पादप रोग विज्ञान/ कीट विज्ञान एवं मधुमक्खी पालन या जैव प्रौद्योगिकी । तथापि पदधारी औद्यानिकी के एक ऐच्छिक विषय सहित (औद्यानिकी)/(कृषि) विज्ञान स्नातक (बी0एस0सी0) होना चाहिए। **ख) <u>वॉछनीय अर्हता (एं)</u> :** हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों, और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं:	लागू नहीं।
9. परिवीक्षा की अवधि,यदि कोई हो	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें ।
10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता:	(i) पचास शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से संविदाके आधार पर ।

	(ii) पचास शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा या सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से संविदा के आधार पर।
11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा।	उद्यान विस्तार अधिकारियों/प्रदर्शकों (डिमांसट्रेटरज) में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका औद्यानिकी/कृषि में विज्ञान स्नातक (बी0एस0सी0) की उपाधि सहित दस वर्ष का नियमित सेवाकाल हो या की गई लगातार तदर्थ सेवा को सम्मिलित करके 10 वर्ष का नियमित सेवाकाल हो । प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए उद्यान विस्तार अधिकारियों/प्रदर्शकों (डिमांसट्रेटरज) के पद के पदधारियों की उनके सेवाकाल के आधार पर, उनकी संवर्ग वार परस्पर वरिष्ठता सूची को छेड़े बिना एक संयुक्त वरिष्ठता सूची विहित की जाएगी।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थीः

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने–अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरणः— अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज,1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैंन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज,1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों मे ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचनाः	विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उस द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग के सदस्य द्वारा की जाएगी।
13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाः	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः	सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि,यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जायेगा ।
15–क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन।	(I) **<u>संविदा नियुक्ति के लिए संकल्पनाः</u>** (क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग में हिमाचल प्रदेश औद्यानिकी सेवाएं, वर्ग–I(राजपत्रित)को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे दो और वर्षो के लिए बढ़ाया जा सकेगा। (ख) अभ्यर्थियों का चयन, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा दो अग्रणी समाचार पत्रों में रिक्त पदों का विज्ञापन देकर किया जाएगा। (ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(घ) इन नियमों के अधीन इस प्रकार चयनित संविदा पर नियुक्त हिमाचल प्रदेश औद्यानिकी सेवाएं, वर्ग–I(राजपत्रित)को सरकारी सेवा (जॉब) में नियमितिकरण या स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(II) **<u>मानदेय</u>**

संविदा के आधार पर नियुक्त हिमाचल प्रदेश औद्यानिकी सेवाएं, वर्ग–I (राजपत्रित) के अधिकारी को 10830/–रूपए की दर से समेकित नियत रकम प्रतिमास संदत्त की जाएगी। अनुपस्थिति अवधि के लिए कोई रकम संदत्त नहीं की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए मनादेय में 220/रूपए वृद्धि के रूप में अनुज्ञात किए जाएंगे।

(III) **<u>नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारीः</u>**

प्रधान सचिव(उद्यान) हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) **<u>चयन प्रकियाः</u>**

(क) निदेशक, उद्यान हिमाचल प्रदेश औद्यानिकी सेवाएं की विद्यमान रिक्तियों की बाबत,वर्ष की समाप्ति से पूर्व, कार्यभार (वर्कलोड) तथा मानकों के अनुसार रिक्तियों को भरने हेतु उनका पूर्ण न्यायोचित्य देते हुए, सरकार को ठीक अग्रिम रूप में सूचित करेगा ।

(ख) सरकार द्वारा, अनुरोध पर विचार किया जाएगा और यदि प्रथमतः स्थानान्तरण के लिए कोई अनुरोध है, तो सरकार नियमित पदधारी के स्थानान्तरण द्वारा रिक्ति को भरेगी या अन्यथा सरकार रिक्त पद को संविदा के आधार पर केवल एक वर्ष के लिए भरेगी जिसे दो और वर्षो के लिए बढ़ाया जा सकेगा ।

(ग) निदेशक, उद्यान रिक्त पद को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजेगा।

(V) संविदा पर नियुक्त अधिकारी के लिए चयन समितिः

चयन, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा ।

(VI) करारः

अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध–ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें

(क) संविदा के आधार पर नियुक्त अधिकारी को 10830/– रूपए की दर से प्रतिमास मानदेय संदत्त किया जाएगा। वह क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए मानदेय में 220/– रूपए वार्षिक की दर से वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे चयन/ वरिष्ठ वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त अधिकारी की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है ।

(ग) संविदा पर नियुक्ति, पदधारी को किसी भी दशा में सेवा में नियमितिकरण का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।

(घ) संविदा पर नियुक्त अधिकारी एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त अधिकारी को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी।

(ङ) कार्यालयाध्यक्ष के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की समाप्ति (पर्यावसान) हो जाएगी । संविदा पर नियुक्त अधिकारी कर्त्तव्य(ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(च) संविदा पर नियुक्त अधिकारी का एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(छ) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी /रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला, प्रसव होने तक, अनुपयुक्त समझी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/ व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(ज) संविदा पर नियुक्त अधिकारी का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित अधिकारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(VIII) नियमित नियुक्ति के लिए दावा करने का अधिकार

इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए अभ्यर्थी को, किसी भी दशा में विभाग में अधिकारी संवर्ग में नियमितिकरण/स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नही होगा।

16. आरक्षणः

सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय–समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों /अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा

सेवा में प्रत्येक सदस्य को हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम,1997 में यथा विहित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

18. वरिष्ठता और तैनाती।

इन नियमों की अधिसूचना के पश्चात और इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से हिमाचल प्रदेश औद्यानिकी सेवाएं वर्ग–। (राजपत्रित) बनाए जाने के फलस्वरुप 01–01–1991 की वरिष्ठता सूची को छेड़े

बिना, निम्नलिखित रीति में एक संयुक्त वरिष्ठता सूची अवधारित की जाएगीः—

(i) उप निदेशक (उद्यान)/परियोजना समन्वयक /वरिष्ठ विषय वस्तु विशेषज्ञ (उद्यान)/ वरिष्ठ विषय वस्तु विशेषज्ञ (पुष्पोत्पादन)/ उप निदेशक उद्यान (सूचना)/वरिष्ठ पौध संरक्षण अधिकारी/वरिष्ठ विषय वस्तु विशेषज्ञ (पौधसंरक्षण)/वरिष्ठ विपणन अधिकारी/ वरिष्ठ विश्लेषण अधिकारी/फल प्रौद्योगिकीविद् के पदों के पदधारियों, जो वेतनमानों के पुनरीक्षण से पूर्व अर्थात् 1.1. 1991 को नियुक्त/प्रोन्नत हुए थे, की वरिष्ठता को उसी प्रकार बनाये रखते हुए वर्तमान्तः सामान्य संवर्ग का सृजन करने वाले वर्ग—।। के अधिकारियों के ऊपर सामूहिक रुप से रखे जाएंगे;

(ii) तत्पश्चात, इसी क्रम में उपरोक्त अधिकारियों से नीचे वर्ग—।। राजपत्रित पद के पदधारियों, जिसमें उद्यान विकास अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारियों/ सहायक परियोजना अधिकारियों/ मशरूम विकास अधिकारी/विषय वस्तु विशेषज्ञ/ सहायक पुष्प उत्पादक/ गुणवत्ता नियन्त्रण अधिकारी/प्रापण एवं विक्रय अधिकारी/सहायक फल प्रौद्योगिकीविद्/ खाद्य सूक्ष्म जीव विज्ञानी /नर्सरी निरीक्षण एवं प्रमाणन अधिकारी (कीट विज्ञान)/ मधुमक्खी विकास अधिकारी/ विषय वस्तु विशेषज्ञ (उद्यान)/सहायक विपणन अधिकारी (उद्यान)/पौध संरक्षण अधिकारी/ सहायक फसलोत्तर शरीर—क्रिया विज्ञानी/ सहायक विश्लेषण अधिकारी भी सम्मिलित हैं, को, जो वेतनमानों के पुनरीक्षण अर्थात् 01—01—1991 से पूर्व उनकी वर्तमान समूह—वार वरिष्ठता को बनाये रखे हो, सामूहिक रूप से उद्यान विकास अधिकारियों से वरिष्ठ रखा जाएगा।

(iii) तत्पश्चात् उद्यान विकास अधिकारियों के पद के पदधारी उनकी 1—1—1991 को विद्यमान वरिष्ठता के क्रम में, नीचे होंगे अर्थात् उपरोक्त वर्ग—।। के अधिकारियों से नीचे होंगे।

तैनाती के मामले में, वरिष्ठतम पदधारियों को उप निदेशक (उद्यान)/वरिष्ठ विषय वस्तु विशेषज्ञ(उद्यान)/वरिष्ठ विषय वस्तु विशेषज्ञ (पौध संरक्षण)/परियोजना समन्वयक/

वरिष्ठ विपणन अधिकारी/ वरिष्ठ विश्लेषण अधिकारी / फल प्रौद्योगिकीविद् और उनका अनुसरण करते हुए अगले वरिष्ठ जिला उद्यान अधिकारी आदि के विरूद्ध तैनात किए जाएंगे और इसी प्रकार, परन्तु वे स्तम्भ संख्या 7/11 में विहित अपेक्षित व्यावसायिक अर्हता प्राप्त कर लें ।

19. शिथिल करने की शक्तिः	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्ही उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

....

परिशिष्ट "क"

हिमाचल प्रदेश औद्यानिकी सेवाएं (वर्ग– I) प्रवर्ग में निम्नलिखित पद सम्मिलित होंगेः–

क्रम संख्या	**प्रवर्ग के पद**
1.	उप निदेशक (उद्यान) – दस पद ।
2.	परियोजना समन्वयक– एक पद।
3.	वरिष्ठ विषय वस्तु विशेषज्ञ(उद्यान/पौध संरक्षण/पुष्पोत्पादन)– तीन पद।
4.	वरिष्ठ विपणन अधिकारी– एक पद ।
5.	वरिष्ठ पौध संरक्षण अधिकारी– एक पद ।
6.	फल प्रौद्योगिकीविद्– एक पद।
7.	वरिष्ठ विश्लेषण अधिकारी– एक पद।
8.	जिला उद्यान अधिकारी– ग्यारह पद।
9.	विषय वस्तु विशेषज्ञ(उद्यान/पुष्पोत्पादन/आदर्श पुष्प केन्द(एम0एफ0सी0)/ पौध संरक्षण/विपणन /मशरूम)–इकतीस पद।
10.	सहायक पुष्पोत्पादक–एक पद।
11.	सहायक परियोजना अधिकारी(जैतून/ मशरूम)– दो पद।
12.	पौध संरक्षण अधिकारी– एक पद ।
13.	सहायक विपणन अधिकारी–एक पद।
14.	सहायक फसलोत्तर शरीर क्रिया विज्ञानी–एक पद।
15.	मशरूम विकास अधिकारी– एक पद।
16.	मधुमक्खी पालन एवं विकास अधिकारी– दो पद।
17.	नर्सरी निरीक्षक एवं प्रमाणन अधिकारी(कीट विज्ञान)–एक पद।
18.	सहायक फल प्रौद्योगिकीविद्– चार पद।
19.	प्रापण एवं विक्रय अधिकारी–एक पद।
20.	गुणवत्ता नियन्त्रण अधिकारी–एक पद।
21.	खाद्य सूक्ष्म जीव विज्ञानी–एक पद।
22.	सहायक विश्लेषण अधिकारी–एक पद।
23.	उद्यान विकास अधिकारी – दो सौ तिरसठ पद।
24.	अनुसंधान सहायक–दो पद।
25.	वरिष्ठ रसायन सहायक– तीन पद।
26.	वरिष्ठ तकनीकी सहायक(खाद्य सूक्ष्म जीव विज्ञानी/फल प्रौद्योगिकी)– दो पद
27.	प्रबन्धक एवं रसायनिज्ञ– सात पद।
28.	फल परिरक्षण सहायक–चार पद।
29.	गुणवत्ता नियन्त्रण निरीक्षक–एक पद

कुलः 360(तीन सौ साठ पद)

उपाबन्ध– "ख"

परिशिष्ट "क" के अनुसार हिमाचल प्रदेश औद्यानिकी सेवाएं वर्ग–। (राजपत्रित) के अधिकारी और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, उद्यान, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्रीमति.. पुत्र/पुत्री श्री...................... .... निवासी..,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् **"प्रथम पक्षकार"** कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के मध्य निदेशक,उद्यान, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् **"द्वितीय पक्षकार"** कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख............................. को किया गया।

"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त **प्रथम पक्षकार** को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने हिमाचल प्रदेश औद्यानिकी सेवाएं, वर्ग–।(राजपत्रित) के अधिकारी के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:–

1. यह कि **प्रथम पक्षकार** परिशिष्ट "क" के अनुसार .... के रूप में........... से प्रारम्भ होने और.......... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् को अर्थात्..................... दिन को स्वयंमेव ही समाप्त (पर्यवसित) समझीं जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 10,830/– रूपए प्रतिमास होगी।

3. **प्रथम पक्षकार** की सेवा बिल्कुल अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त(पर्यवसित) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदात्मक नियुक्ति, किसी भी दशा में नियमित सेवा के लिए पदधारी को कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

5. संविदा पर नियुक्त अधिकारी, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त अधिकारी को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

6. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त अधिकारी कर्त्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए वेतन का हकदार नहीं होगा।

7. संविदा के आधार पर नियुक्त अधिकारी का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा।

8. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों

का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

इसके साक्ष्यस्वरूप **प्रथम पक्षकार** और **द्वितीय पक्षकार** ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने– अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षी की उपस्थिति में

1..
....
....
(नाम व पूरा पता)

2...
....
....
(नाम व पूरा पता)

प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर

साक्षी की उपस्थिति में

1..
....
....
(नाम व पूरा पता)

2...
....
....
नाम व पूरा पता

द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर

Authoritative English Text of H.P. Govt. Notification No. Udyan-Kha(7)-8/92-II, dated 18-8-2007 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

Government of Himachal Pradesh
Department of Horticulture.
****

No. Udyan-Kha (7)-8/92-II, Dated:Shimla-2, the 18-8-2007

NOTIFICATION

In exercise of the power conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Himachal Pradesh Horticultural Services Class-I (Gazetted) in the Department of Horticulture , Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this notification; namely :-

Short title and Commencement. 1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Horticultural Services Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2007.

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra Himachal Pradesh.

Repeal and savings. 2. (1) The Himachal Pradesh Horticulture Department, Class-I (Gazetted) Services Rules,1988 notified vide this Department Notification No.Udyan-Ka(3)-4/81-II, dated 19-7-1988, 6-2-1988 and Himachal Pradesh, Horticulture Department, Class-I (Gazetted) Services Rules,1987 notified vide Notification No.Udyan-Kha(3)1/86, dated 29-9-87 and Himachal Pradesh, Horticulture , Class-III (Executive Section) Services (Recruitment, Promotion and Certain conditions of Service) Rules, 1973(Part-I) notified vide Notification No. 29-1/72-Hort.(Sectt), dated 6-8-1973 are hereby repealed.

(2) Nothing withstanding such repeal, any appointment made, or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule(1) supra shall be deemed to have been validly made, or done or taken under these rules.

By Order

(J.P. Negi)
Additional Chief Secretary(Hort.) to the
Government of Himachal Pradesh.

Annexure-"A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF H.P. HORTICULTURAL SERVICES CLASS-1, (GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF HORTICULTRURE, HIMACHAL PRADESH.

1.	**Name of post**	**H.P. Horticultural Services Class-I (Gazetted)** **Details of the posts, their existing designation on the date of notification of these rules are Given vide appendix "A".**
2.	**Number of the posts:**	**360 (Three hundred and sixty)** **(Detail as per Appendix-"A")**
3.	**Classification:**	**Class-1(Gazetted)**
4.	**Scale of pay:**	**Rs.7220-220-8100-275-10300-340-11660.(Entry Scale)**
5.	**Whether "Selection" post or "Non-Selection "post:**	**Selection.**
6.	**Age for direct recruitment:**	**45 years and below.**

Provided that the upper age limit for direct recruitment will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis.

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age-limit is relaxable for Schedule Castes/Schedule Tribes/Other Categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporation/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to the Government Servants. This concession, will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are /were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

1. **Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in year in which the post (s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.**
2. **Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.**

7.	**Minimum educational and other qualifications required for direct**	**(A) ESSENTIAL: -**

	recruitment :	**M.Sc. Horticulture/ Agriculture in any one of the following disciplines/subject:** **Pomology, Fruit Breeding& Genetic Resources, Post Harvest Technology/Fruit Technology, Floriculture & Land Scaping, Mycology & Plant Pathology/ Entomology & Apiculture or Biotechnology. However the incumbent should be B.Sc.(Hort.)/ (Agri.) with Horticulture as an elective subject.** **(B) <u>DESIRABLE QLIFICATION :</u>** **Knowledge of customs manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.**
8.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promottee (s) :**	**Not applicable.**
9.	**Period of probation, if any:**	**Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.**
10.	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various method :**	**(i) 50% by direct recruitment or on contract basis through concerned recruiting agency i. e. H.P. Public Service Commission.** **(ii) 50% by promotion failing which by direct recruitment or on contract basis through concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission.**
11.	**In case of recruitment by deputation, transfer, grade from which promotion / deputation/ transfer is to made:**	**By promotion from amongst promotion, Horticulture, Extension Officers/ Demonstrators having B.Sc. Degree in Horticulture / Agriculture with ten years regular service or regular combined with continuous adhoc service. For the purpose of promotion a combined seniority list of the incumbents of the posts of Horticulture Extension Officers and Demonstrators on the basis of the length of service without disturbing their cadre wise inter-se-seniority shall be prescribed.**

(I) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the

adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules, provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration.

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least 3 years or that prescribed in the R & P Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion ;

<u>EXPLANATION</u>: - The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of the Rule-3 of the Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Services) Rules-1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-serviceman (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment /promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R & P Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition ? :**	**D.P.C. to be presided over by the Chairman ,H.P.Public Service Commission, Shimla or a Member thereof nominated by him.**
13.	**Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment:**	**As required under the Law.**
14.	**Essential requirement for a direct recruitment:**	**A candidate for appointment to any Service or post must be a citizen of India.**
15	**Selection for appointment to the post of direct recruitment:**	**Selection for appointment to the post in case of by direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test, if H.P. Public Service Commission or other recruiting authority as the case may be, so considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the H.P. Public Service Commission.**

15-A. Selection for appointment to the post by Contract appointment:	**<u>CONCEPT FOR CONTRACT APPOINTMENT</u> :-** **(a)Under this policy, the H.P.Horticultural Services Class-I (Gazetted) will be engaged on contract basis initially for one year which may be extendable for two more years.** **(b) The candidates will be selected by advertising the vacant post in the two leading newspapers by the H.P. Public Service Commission.** **(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these rules.** **(d) Contractual H.P. Horticultural Services Class-I ,(Gazetted) so selected under these rules will not have any right to claim regularization or permanent absorption in the Govt. job.**

(II) <u>HONOURARIUM</u>

The H.P. Horticultural Services Class-I (Gazetted) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed amount @ Rs.10839/-per month. No amount will be paid for absence period. An amount of Rs. 220/-as increase in honorarium for second and third year respectively will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III)<u>APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.</u>

Principal Secretary (Hort.) to the Govt. of Himachal Pradesh will be the appointing and disciplinary authority.

(IV) <u>SELECTION PROCESS</u>:

(a) The Director of Horticulture will inform the Government about the existing vacancies of H.P. Horticulture Services in the Department well in advance before the end of the year by giving full justification for the same according to the work load and norms.

(b) The request will be considered by the Govt. and if there is any request for transfer in the first instance, the Govt. will fill up the vacancy by transfer of regular incumbent, or otherwise, Govt. will fill up the vacant post on contract basis for the period of one year only, which can be extended for two more years.

(c) **The Director of Horticulture after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will send the requisition to H.P.Public Service Commission.**

(V) <u>COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL OFFICER</u>:-

The selection will be made by the H.P. Public Service Commission.

(VI) <u>AGREEMENT.</u>

After selection of a candidate ,he has to sign an agreement as per Annexure-B appended to these rules.

(VII) <u>TERMS AND CONDITIONS</u>.

(a) **The officers appointed on contract basis will be paid an honorarium @ Rs.10830/- per month. He will be entitled for annual increase in honorarium @ Rs.220/- per annual for second and third years respectively and not other allied benefits such as senior/selection scale etc.**

(b) **The service of the contractual officer will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good.**

(c) **Contract appointment shall not confer any right to the incumbent for the regularization in service at any stage.**

(d) **Contractual officer will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any other kind is admissible to the contractual officer. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc.**

(e) **Unauthorized absence from the service without the approval of the Head of the Office shall automatically lead to the termination of the contract. Contractual officers shall not be entitled for any contractual amount for the period of absence from duty.**

(f) **Transfer of a officer appointed on contract basis will not be permitted**

from one office to another in any case.

(g) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit until the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorised medical officer/practitioner.

(h) Contractual officer will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to the regular officers.

(VIII) <u>RIGHT TO CLAIM REGULAR APPOINTMENT</u>.
The candidate engaged on contract basis under these rules shall have no right to claim regularization/permanent absorption as such in the cadre in the department at any stage.

16.Reservation:	**The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Schedule Tribes/ Other Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.**
17.Departmental Examination:	**Every member of the service shall pass the departmental examination as prescribed in the departmental examination rules, 1997.**
18.Seniority & Posting:	**After the notification of these rules and consequent upon the formation of H.P. Horticulture Services Class-I, (Gazetted) from the date of issue of this notification, a combined seniority list not disturbing the seniority as on 1.1.1991, shall be determined in the following manner.**

1) The incumbents of the post of Deputy Director (Hort.)/Project Co-ordinator/ Sr.Subject Matter Specialist (Hort.)/Sr. Subject Matter Specialist (Floriculture)/Deputy Director of Horticulture (Information)/Senior Plant Protection Officer/ Sr. Subject Matter

Specialist (PP)/Sr. Marketing Officer/Sr. Analytical Officer/Fruit Technologist those who were appointed/promoted prior to the date of revision of pay scales i.e. 1.1.1991 maintaining their seniority as such, shall be placed enblock senior to the class-II Officers now forming the common cadre;

(ii). Thereafter, in this order below the above officers, incumbents of the post in Class-II Gazetted, which includes Horticulture Development Officer/ District Horticulture Officers/Assistant Project Officers/Mushroom Development Officer/Subject Matter Specialist/ Assistant Floriculturist/Quality Control Officer/ Procurement & Sales Officer /Assistant Fruit Technologist/ Food Microbiologist /Nursery Inspection & Certification Officer (Entomology) /Bee-Keeping Development Officer/ Subject Matter Specialist (Hort.)/ Assistant Marketing Officer (Hort.)/Plant Protection Officer/ Assistant Post Harvest Physiologist/ Assistant Analytical Officer maintaining their present group wise seniority prior to the date of revision of pay scales i.e. 1.1.1991 shall be placed enblock senior to the Horticulture Development Officer.

(iii) Thereafter, the incumbents of the post of Horticulture Development Officers in the order of their present seniority as on 1.1.1991 shall be at the bottom i.e. immediately below the above class-II officers.

IN THE MATTER OF POSTING, THE SENIOR MOST INCUMBENTS SHALL BE POSTED AGAINST THE POST OF DEPUTY DIRECTOR OF HORTICULTRE/SENIOR SUBJECT MATTER SPECIALIST (HORT.)/ SENIOR SUBJECT MATTER SPECIALIST (PP)/PROJECT COORDINATOR/ SENIOR MARKETING OFFICER/SENIIOR ANALYTICAL OFFICER/FRUIT TECHNOLOGIST FOLLOWED BY THE NEXT SENIOIR BEING POSTED AS DISTRICT HORTICULTURE OFFICER ETC. AND SO ON PROVIDED THEY ACQUIRE REQUUSITE PROFESSIONAL QUALIFICATION PRESCRIBED IN RULE 7/11.

19.	**Power to Relax:**	**Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P. Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).**

APPENDIX-A

The H.P.Horticultural Services(Class-I)shall include the following Categories of posts.

Sr.No. **Categories of posts**

1. Deputy Director of Horticulture-10 posts.
2. Project Co-ordinator-1 post.
3. Senior Subject Matter Specialist (Hort.PP/Floriculture)-3 posts
4. Senior Marketing Officer- 1 post.
5. Senior Plant Protection Officer-1 post.
6. Fruit Technologist- 1 post.
7. Senior Analytical Officer-1 post.
8. District Horticulture Officer-11 posts.
9. Subject Matter Specialist (Hort./Floriculture/MFC/PP/Marketing/ Mushroom)-31 posts
10. Assistant Floriculturist-1 post.
11. Assistant Project Officer (Olive/Mushroom)-2 posts.
12. Plant Protection Officer-1 post.
13. Assistant Marketing Officer- 1 post.
14. Assistant Post Harvest Physiologist- 1 post.
15. Mushroom Development Officer- 1 post.
16. Bee Keeping & Development Officer-2 posts.
17. Nursery Inspection & Certification Officer (Entomology)-1 post.
18. Assistant Fruit Technologist-4 posts.
19. Procurement & Sales Officer-1 post.
20. Quality Control Officer- 1 post.
21. Food Microbiologist-1 post.
22. Assistant Analytical Officer-1 post.
23. Horticulture Development Officer-263 posts.
24. Research Assistant –2 post.
25. Senior Chemical Assistant –3 posts.
26. Senior Technical Assistant (Food Microbiology/Fruit Technology)- 2 posts.
27. Manager-cum-Chemist-7 posts.
28. Fruit Preservation Assistant –4 posts.
29. Quality Control Inspector- 1 post.

Total-360 posts.

ANNEXURE-B.

Form of contract/agreement to be executed between the H.P. Horticultural Services Class-I (Gazetted) Officers as per Appendix-A & the Government of Himachal Pradesh through Director of Horticulture, Himachal Pradesh, Shimla-2.

This agreement is made on this……………………..day of …………… in the year …………………. Between Shri/Smt…………………………..S/o /D/o Shri. ………………………………………R/o…………………………………….. ………………………………………………………………………………………… ……… contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through Director of Horticulture, Himachal Pradesh, Shimla-2 (here-in-after the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as H.P. Horticultural Services (Class-I, Gazetted) on contract basis on the following terms & conditions: -

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as officer as per Appendix-A for a period of 1 year commencing on this day of ………………………………… and ending on the day of …………………….. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on…………………………… and information notice shall not be necessary.
2. The contract of the FIRST PARTY WILL BE Rs.10830/- per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good.
4. The contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regular service at any stage.
5. Contractual officer will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual officer. He/She will not be entitled for Medical Reimbursement and L.T.C. etc. Only maternity leave will be given as per Rules.
6. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual officer will not be entitled for salary for the period of absence from duty.
7. Transfer of a officer appointed on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.
8. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1………………………………………..
…………………………………………
…………………………………………
(Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2………………………………………..
…………………………………………
…………………………………………

(Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1………………………………………..
…………………………………………
…………………………………………
(Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

2…………………………………………
………………………………………….
………………………………………….
(Name and Full Address)

………….